राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–174 / 2024

डॉ रीना गोयल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 21.03.2024
आदेश की दिनांक : 23.05.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–6) जिसके द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, को अपास्त कर अपनी सेवाएं वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर रखे जाने का अनुतोष चाहा गया है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य के पद पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर द्वारा कार्यमुक्त कर उपनिदेशक के पद पर पदस्थापन हेतु निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति दिये जाने हेतु निर्देश दिये हैं। उनका तर्क है कि प्रधानाचार्य को अपीलार्थी के संबंध में एपीओ किए जाने का आदेश पारित किए जाने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा ही पदस्थापित किया जा सकता है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के आदेश दिनांक 14.05.2024 (अनुलग्नक–11) के द्वारा अपीलार्थी की सेवा अवधि में अभिवृद्धि दिनांक 31.12.2024 तक की गई है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–6) विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त किए जाने के उपरान्त वरिष्ठ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष क्लीनिकल माइक्रोबायोलोजी विभाग ने प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, स.प.आ. महाविद्यालय, बीकानेर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यह निवेदन किया है कि महाविद्यालय में परीक्षा प्रारम्भ होने वाली है

जिसके चलते अपीलार्थी को कार्यमुक्त किए जाने से विभागीय कार्य सम्पादन में समस्या होगी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–6) जिसके द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, को अपास्त कर अपीलार्थी की सेवाएं वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर रखी जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थी सहायक आर्चाय (माईक्रोबायोलोजी) के पद पर अस्थाई रूप से दिनांक 14.02.2024 तक एस पी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में पदस्थापित रहे हैं। माइक्रो बायोलॉजी के सहायक आचार्य का एक पद दिनांक 24.04.2023 से दिनांक 18.12.2023 तक रिक्त चल रहा था। दिनांक 19.12.2023 को डॉ सारिका (Allotment Board 2023) ने उक्त रिक्त पद के विरूद्ध पदभार ग्रहण किया। अतः दिनांक 19.12.2023 के पश्चात् माइक्रो बायोलॉजी के सहायक आचार्य का कोई पद रिक्त नही था। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर 6 वरिष्ठ प्रदर्शकों की सहायक प्रोफेसर के पद पर आदेश दिनांक 14.02.2024 द्वारा पदोन्नति की गई। जिसमें दो पदोन्नत अधिकारी डॉ रूबिना कोचर एवं डॉ पुनित शर्मा ने सहायक प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी के पद पर दिनांक 14.02.2024 को कार्यग्रहण करने पर पदरिक्त नहीं होने पर आलोच्य आदेश द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। जो राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.04.2013 के अनुरूप है। यह विभाग की सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी नियमित नियुक्ति का कार्मिक रिक्त पद पर कार्यग्रहण करता है, यूटीबी आधार पर कार्यरत कार्मिक को कार्यमुक्त कर दिया जाता है ताकि एक ही पद पर दो व्यक्तियों के वेतन आहरण का प्रकरण न उत्पन्न हो। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.04.2013 में स्पष्ट उल्लेख है कि यू.टी.बी. आधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाऐ ंतब तक ही विधिमान्य है जब तक कि विभाग द्वारा नियमित कार्मिक उपलब्ध हो अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा नवीन नियमित नियुक्ति हो, अथवा इस सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश पारित हों, इनमें से जो भी पहले हो तब तक विधिमान्य होगी। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने के लिए पद की अनुपलब्धता के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो आदेश दिनांक 14.02.2024 जारी किया गया है वह विधि मान्य है। अतः इस आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का मनन कर अनुशीलन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अस्थाई तौर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में रिक्त पद पर इस शर्त पर लगाया है कि विभाग में नियमित कार्मिक उपलब्ध होने या राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कार्मिक उपलब्ध होने या अन्य कोई आदेश जो भी पहले हो, तक कार्यरत रखा जावेगा। रिक्त पदों पर नियमित चयनित एवं पदोन्नत कार्मिकों के कार्यग्रहण करने एवं पद रिक्त नहीं रहने की दशा में अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2024 से कार्यमुक्त किया गया है। लिहाजा, इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के आदेश दिनांक

14.05.2024 (अनुलग्नक–11) के द्वारा आवश्यक/अस्थाई आधार पर मेडिकल कॉलेज बीकानेर में नियुक्त अपीलार्थी की अस्थाई सेवा अवधि में दिनांक 31.12.2024 तक अथवा राजस्थान लोकसेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा माननीय न्यायालय के निर्णय (यदि कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो) अथवा इस संबंध में अन्य आदेश जारी होने तक जो भी पहले हो तक अभिवृद्धि की गई है।

7. अतः नवीन आदेश दिनांक 14.05.2024 के दृष्टिगत अपील इस हद तक स्वीकार की जाती है कि प्रत्यर्थी विभाग विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 4 उक्त आदेश दिनांक 14.05.2024 की पालना में अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया जाकर सेवाएं ली जावे। यदि पद रिक्त नहीं हो तो इस संदर्भ में राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर तद्नसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्रता होगी। बीच की अवधि के अवकाश का कोई प्रकरण, यदि हो तो उसका नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य